

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01445

दिनांक 07.12.2017

सेवा में,

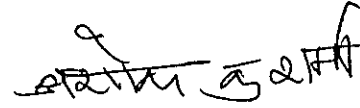
श्री रोहित जाटव,

महोदय,

उक्त विषयक आपका दिनांक 01.12.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 01.12.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 180647) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 30.11.2017 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

आपने केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि कुछ प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है। अतः आपके प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने में जन सूचना अधिकारी असमर्थ हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलें/शिकायतों पर संबंधित सूचना आयुक्तों द्वारा सुनवाई की जाती है एवं सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन पाया जाए जाने पर सूचना आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित जारी किए जाते हैं। यदि आवेदक या लोक प्राधिकरण/विभाग केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश से सहमत न हों तो वे आयोग के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम का अवलोकन कर सकते हैं जो कि आयोग की वेबसाइट के लिंक <http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> पर उपलब्ध है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल